न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2020

दायर दिनांक–29.01.2020
निर्णय दिनांक–17.03.2020

श्री रूपलाल पिता कुहगा धामोत निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

....विपक्षी

अपील अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

–

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री राजकीय पेरोकार

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खडगदा के खसरा नंबर 652/1 कुल रकबा 01.06 बीघा किस्म बिलानाम भूमि मे से 0.10 बीघा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर उस पर गन्ने की फसल बोने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 मे अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने, बाई गई गन्ने की फसल जप्त सरकार करने, लगान का 50 गुना पैनल्टी रूपया 25/– एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश दिनांक 26.12.2018 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने आदेश को निरस्त कराने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही हेतु तलब किया गया। मूल पत्रावली एवं मौके की रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पो. की ओर से राजकीय पेरोकार ने अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न पटवारी हल्का खडगदा की रिपोर्ट एवं पर्चा मौका दिनांक 05.12.2019 पेश किया है।

मूल पत्रावली एवं उसके साथ संलग्न मौका रिपोर्ट/पर्चा मौका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभय पक्षों की समायत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी ओर से बहस मे बताया है कि अतिक्रमित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से सटी हुई है। उक्त भूमि मे अपीलान्ट ने गन्ने की फसल बो रखी है। रास्ते पर कब्जा नही किया है। उक्त भूमि को नियमन कराने हेतु दिनांक 26.07.2018 को तहसीलदार सागवाडा मे अपील दायर कर रखी है। जिसको अभी तक निर्णित नही किया गया है। अब तक पेण्डिग है। तहसीलदार सागवाडा ने उसको तहसील की कोर्ट की फाईल पर भी नही लिया गया है। दिनांक 10.09.2018 को पुनः अपील पेश की लेकिन दोनों अपील को कोर्ट की प्रोसीडिंग मे नही लिया गया है। 20 वर्षो मे उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है, लेकिन कब्जे के संबंध मे कोई दस्तावेज नही लगाये गये है। उक्त भूमि को अपीलान्ट ने काफी परिश्रम करके, धन व्यय करके काश्त योग्य उपजाउ बनाया है। उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटन की जावें। यदि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त नही किय गया तो अपीलान्ट एवं उसके परिवार को भारी मानसिक आघात पहुंचेगा। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2018 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस के दौरान बताया है कि अपीलाण्ट का उक्त अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण पश्चात्वर्ती है। [illegible]र सागवाडा द्वारा मौके की जांच कर मौका रिप[illegible] पर्चा मौक[illegible]जवाया है। जिसमें बताया है कि अपीलाण्ट ने अ[illegible] भूमि पर से कब्जा नही हटाया है एवं उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर गन्ने की फसल बो रखी है। साथ ही मौके पर उसका पुराना कब्जा होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया हैं न्यायोचित है। अतः अपीलाण्ट की अपील को खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2018 को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें। इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं उसके साथ संलग्न मौका रिपोर्ट एवं पर्चा मौका दिनांक 05.12.2019 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षों की ओर से बहस में दी गयो दलीलों पर घोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

अपीलान्ट ने मौजा खडगदा के खसरा नम्बर 652/1 मे से रकबा 0.10 बीघा भूमि पर बीस वर्षो से अपना कब्जा /काश्त होना बताया है लेकिन अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई भी राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि उसका उक्त अतिक्रमित भूमि पर गत बीस वर्षो से कब्जा/काश्त है जैसा कि अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान यह स्वीकार किया है कि कब्जे के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। उक्त बिलानाम भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर गन्ने की फसल बो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है। वह न्याय संगत है। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 मे पारित आदेश दिनांक 26.12.2018 को यथावत/बहाल रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर